



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP46696161523047W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

RAVINDER KUMAR GUPTA

L.NO.- 30

Acc- UP14084904/MODINAGAR/UP-GZB

Certificate No. : IN-UP46696161523047W
 Certificate Issued Date : 28-Jan-2024 04:38 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14084904/ MODINAGAR/ UP-GZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1408490489488112119432W
 Purchased by : HARIOM KESHRI
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : ISHWAR SINGH TYAGI
 Second Party : HARIOM KESHRI
 Stamp Duty Paid By : HARIOM KESHRI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

किरायानामा

मैं इश्वर सिंह त्यागी पुत्र स्व० श्री सिपात्तर सिंह त्यागी फ्लैट नं० बी 2, दयावती
 कम्पलैक्स, मकनपुर, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उ०प्र०, 201014

—प्रथमपक्ष (मालिक)

Ishwar

एवं

हरिओम केसरी पुत्र श्री शंकर केसरी निवासी रामपुर, बाघेलान, सतना, म०प्र०,
 आधार कार्ड नं० 3438 2479 2373

—द्वितीयपक्ष (किरायेदार)

Hariom*द्वितीयपक्ष केसरी*
conti...

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.mca21.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The duty of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

2.
विदित हो कि प्रथमपक्ष की एक सम्पत्ति मकान का एक कमरा पोरशन स्थित फ्लैट नं० बी 2, दयावती कम्पलेक्स, मकनपुर, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उ०प्र०, 201014 पर स्थित है। जिसका मालिक व काबिज प्रथमपक्ष है। द्वितीयपक्ष ने उक्त सम्पत्ति को 11 माह के लिये प्रथमपक्ष से किराये पर लिया है। किरायेनामों की शर्तें निम्न हैं:-

- 1- यह कि उक्त लिखित परिसर का मालिकाना हक प्रथमपक्ष का है और भविष्य में रहेगा।
- 2- यह कि उक्त सम्पत्ति का किराया दोनों पक्षों की सहमति से किराया अंकन 8,000/- रुपये प्रतिमाह का तय पाया गया है। जिसमें कमी बेशी का अधिकार किसी को नहीं होगा। किराया प्रत्येक माह 05 ता० को अदा करना होगा। बिजली, पानी बिल द्वितीयपक्ष द्वारा अतिरिक्त देय होगा।
- 3- यह कि किरायानामा केवल 11 माह के लिए है यदि दोनों पक्ष किरायेदारी तय अवधि बढ़ाना चाहेंगे तो पुनः 10 प्रतिशत से किराया बढ़ाकर नयी किरायेदारी चलाने के लिए सहमत होंगे तो ही नयी किरायेदारी आरम्भ की जा सकती है।
- 4- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त परिसर में केवल रिहायशी निजी प्रयोग हेतु प्रयोग में ही लायेगा। किसी अन्य कोशिकमी किराये पर नहीं देगा। द्वितीयपक्ष उक्त परिसर में कोई अनैतिक कार्य नहीं करेगा। यदि ऐसा करता है तो किरायेदारी से बेदखल होगा तथा किराया जब्त हो जायेगा।
- 5- यह कि द्वितीयपक्ष किसी परिसर में बिना अनुमति के कोई अवैध कार्य/तोड़ फोड़/निर्माण नहीं करेगा। जिस कन्डीशन में मकान दिया जायेगा उसी कन्डीशन में खाली करना होगा।
- 6- यह कि द्वितीयपक्ष की किरायेदारी दिनांक 01.04.2023 से 11 माह यानि 29.02.2024 तक कायम रहेगी। द्वितीयपक्ष द्वारा किरायेदारी की बाबत किरायेदारी के दौरान या बाद में कोई वाद विवाद योजित नहीं करेगा।

7- यह कि परिसर में छोटी-मोटी टूट-फूट रिपेयर द्वितीयपक्ष अपने खर्चे पर स्वयं करायेगा।

8- यह कि कोई पक्ष दो माह पूर्व सूचना देकर परिसर खाली कर/करवा सकता है।

यह कि द्वितीयपक्ष अपना स्वयं हेतु ही परिसर इस्तेमाल कर सकता है जिसकी किसी भी प्रकार की व्यावसायिक/बैंकिंग लेनदारी, देनदारी व किसी भी सरकारी/गैर सरकारी विभाग की भी जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की ही होगी। प्रथमपक्ष या उसकी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

यह कि किरायेदारी के दौरान प्रथमपक्ष अपने मकान का निरीक्षण कर सकता है।

अतः यह किरायानामा लिख दिया गया ताकि सनद रहे और समय पर काम आये। इति

Ishtwar

ह० प्रथम पक्ष (मालिक)

Ishtwar Singh

ह० गवाह

Aayush Gupta

W. S. S. S.

ह० द्वितीय पक्ष (किरायेदार)

W. S. S. S.

ह० गवाह

Aayush Gupta

ATTESTED

UDAYIR SINGH
Advocate/Notary Public
C.N. 944, Civil Court G7B